कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 779/जि0पं0/नक्शा नि0/2014–2015 दिनांक 09 फरवरी 2015

श्री [illegible] पुत्र श्री नन्हू
ग्राम–जुग्गौर
विकास खण्ड–चिनहट
तहसील–सदर
जनपद–लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मानचित्र को शमनित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा जुग्गौर विकास खण्ड चिनहट जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 158 व 170 स में व्यवसायिक भवन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत मानचित्र के आधार पर कुल कवर्ड एरियां 5923.40 वर्गमीटर में कार्य कराये जाने हेतु निम्न प्रतिबन्धों सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1–प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाय। जाये।
2–मख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम–7 यथावत् लागू रहेगें।
2–जल–मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
4–प्रतिबन्ध रहेगा कि मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरियां 5923.40 में ही कराया जाये।
5–प्रतिबन्ध रहेगा कि तीन माह के अन्दर मुख्य अग्नि शमन अधिकारी कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
5–प्रतिबन्ध रहेगा कि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, लखनऊ।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ